# मध्यप्रदेश शासन
# मुख्य सचिव कार्यालय

क्रमांक 287/सी.एस./04–सं.का.,      भोपाल,   दिनांक 4 अक्टूबर,2004

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय,वल्लभ भवन,
भोपाल ।

विषयः– विधान सभा तथा उसकी समितियों को अपेक्षित जानकारी अविलंब भेजने एवं समितियों की बैठक में उपस्थित होने बाबत् ।

विधान सभा द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि दिनांक 16.8.2004 को तत्कालीन मुख्य सचिव की लोक लेखा समिति से चर्चा के बाद भी कतिपय विभागों से अपेक्षित विभागीय ज्ञापन/जानकारी अभी भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है । विधान सभा की विभिन्न समितियों की सिफारिशों एवं सुझावों पर संबंधित विभागों द्वारा समुचित रूप से ध्यान न देने आदि के बारे में भी विधान सभा द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया है।

2/ समिति ने यह अपेक्षा भी की है कि लोक लेखा समिति/ महालेखाकार के प्रतिवेदनों के आक्षेपो पर कार्रवाई के लिए विभाग में पृथक प्रकोष्ठ होना चाहिए जिससे कि समय पर अपेक्षित जानकारियां परीक्षण हेतु उपलब्ध हो सकें ।

3/ प्राक्कलन समिति की बैठक दिनांक 9.9.04 में समिति ने विभागीय जानकारियों के प्रेषण में विलंब पर तथा साक्ष्य में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में असमर्थता के संबंध में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है ।

4/ इस संबंध में उल्लेखनीय है कि संसदीय कार्य नियमावली के नियम 2.4 के अनुसार सभी विभागों में संसदीय प्रकोष्ठ होना चाहिए तथा माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के स्थायी आदेश क्रमांक 56(1) तथा (2) के अनुसार विभागों को समिति के प्रतिवेदनों में दर्शाई गई सिफारिशों पर की गई अथवा करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विवरण, प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत होने के पश्चात् अधिक से अधिक छः माह के अंदर देने होंगे तथा यदि कोई विभाग समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने की स्थिति में नं हो अथवा उसको पूरा करने में कठिनाई अनुभव करता हो तो विभाग अपने विचार उपर्युक्त निर्धारित अवधि में समिति के समक्ष रखेगा ।

5/ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19–70/2000/1/4, दिनांक 17.5.2000 तथा संसदीय कार्य विभाग के परिपत्र क्रमांक 1142/एक (5)26/48/99(सं.का.), दिनांक 14.6.2000 द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि वे लोक लेखा समिति के समक्ष विचाराधीन कंडिकाओं से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए एक विभागीय समिति का गठन करेगे जिसमें संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष एवं वित्त विभाग का एक अधिकारी शामिल होगा तथा निर्दिष्ट समय पर विधान सभा सचिवालय एवं संसदीय कार्य विभाग को जानकारी भेजने के लिए उस विभाग के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा ।

7/उक्त के तारतम्य में कृपया निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें :–

(1) विधान सभा समितियों के आदेशों, निर्देशों तथा समितियों के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशें का तत्परता से पालन सुनिश्चित किया जाए एवं उनके कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता न बरती जाए ।

(2) विभिन्न ऑडिट रिपोर्टस में अंकित लंबित कंडिकाओं के विभागीय ज्ञापन/जानकारी तत्काल विधान सभा को भेजें तथा उसकी एक प्रति संसदीय कार्य विभाग को भी भेजें ।

(3) यदि आपके विभाग में संसदीय प्रकोष्ठ तथा उक्त पद 6 में उल्लिखित समिति का गठन अब तक न किया गया हो तो तत्काल करें । संसदीय कार्य विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 14.6.2000 के पद 4 अनुसार नोडल अधिकारी बनाकर उसका नाम, पदनाम एवं दूरभाष की जानकारी तत्काल संसदीय कार्य विभाग को भेजें ।

(4) आक्षेपों में उल्लिखित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए ।

(5) विधान सभा से प्राप्त सभी पत्रों /स्मरण पत्रों का तत्काल जवाब दिया जाए तथा चाही गई जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए ।

(6) समिति द्वारा जब भी आपको साक्ष्य के लिए बुलाया जाए, अपरिहार्य कारणों को छोड़कर, आप स्वय परिपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हों तथा यदि किसी जानकारी के लिए अन्य अधिकारी की आवश्यकता की संभावाना हो तो उन्हें भी अपने साथ ले जाएं । यहां यह उल्लेखनीय है कि कंडिकाओं में आरोपित तकनीकी/प्रशासनिक अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना, विभागीय जांच आदि की अद्यतन जानकारी भी साथ में रखें ।

(7) समिति की बातों को पूर्ण गंभीरता से लिया जाए । समिति के समक्ष पेश होते समय अधिकारियों को उचित शिष्टाचार एवं शालीनता बनाए रखनी चाहिए । उन्हें सदैव सभापति को संबोधित करना चाहिए और समिति के समक्ष उनके अनुरोध, शिष्टाचार और नम्र भाषा में व्यक्त किए जाने चाहिए ।

(8) समिति की बैठकों में निर्देशित/आश्वासित जानकारी यथासमय अविलम्ब समिति को भेजें ।

हस्ता/-

(विजय सिंह)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन